

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011— वेत्र 11, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक F 5-4/18/2011.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432-के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 427 की उप-धारा (6) एवं (36) के अंतर्गत सकाई तथा कूड़ा करकट के व्यवन तथा राज्य में नगर पालिक निगमों द्वारा नगर पालिक प्राधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं के शुल्क के विनियमन हेतु निम्नानुसार आदर्श उप-विधियां बनाती है, अर्थात् :-

आदर्श उप-विधियां

(छत्तीसगढ़ में नगर पालिक निगम द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु)

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. - (1) ये उप-विधियां (शहर का नाम) नगर पालिक निगम डोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधियां, 2010 कहलाएंगी।
- ये उप-विधियां छत्तीसगढ़ में (शहर का नाम) के नगर पालिक निगम की प्रशासनिक अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले नगर क्षेत्र में लागू होंगी।
- ये उप-विधियां, शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 432-की उप-धारा (2) और/या धारा 432-की उप-धारा (3) के अंतर्गत निगम द्वारा उनके अंगीकृत किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

2. परिभाषायें:- (क) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (1) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) ;
- (2) “जीव नाशित/जैव-निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट” से अभिप्रेत है, ऐसे ठोस अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा सिमीकरण किया जा सकता है, जैसे-खाना, फल, सब्जी, वधशाला (कसाई खाना) पांस, मछली, फल तथा सब्जी मण्डियों के अपशिष्ट ;
- (3) “जैव चिकित्सीय अपशिष्ट” से अभिप्रेत है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1998 में यथा परिभाषित अपशिष्ट ;
- (4) “जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम” से अभिप्रेत है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत बनाए गए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 ;
- (5) “भवन” का अर्थ वैसा ही होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) में परिभाषित है;
- (6) “संग्रहण” से अभिप्रेत है, निगम द्वारा द्वारा-द्वार जाकर या अन्य रीति (रीतियों) से स्रोत पर कूड़े का संग्रहण, जो निर्धारित समयावधि में निर्धारित रीति से किया जाता हो ;
- (7) “आयुक्त” का अर्थ वैसा ही होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (11) में परिभाषित है;
- (8) “निगम” का अर्थ वैसा ही होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (13) में परिभाषित है;
- (9) “मलबा” से अभिप्रेत है, वह मलबा जो भवन निर्माण या भवन या भवन के किसी भाग के तोड़-फोड़ के द्वारा जनित होता है ;
- (10) “विसर्जन” से अभिप्रेत है, आवास अथवा स्थापन में जनित कूड़े के विसर्जन का कार्य ;
- (11) “जल निकास” का अर्थ वैसा ही होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (20) में परिभाषित है;
- (12) “स्थापन” से अभिप्रेत है, कोई भी दुकान, ट्रान्सपोर्टर, मौल, रेस्तरां, निवास-शाला, होटल, कार्यालय, मंगल भवन (जिसमें सम्मिलित होंगे ऐसे खुले मैदान जिनका उपयोग किसी आयोजन के लिए किया जाता है), छात्रावास, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य कोई भी इकाई जो अपनी दिनचर्या के कृत्यों के द्वारा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हों ;
- (13) “मलबा जनित करने वाला” से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति या स्थापन जो उस भवन का मालिक है जो निर्माणाधीन है अथवा जिसमें तोड़-फोड़ चल रहा है, जिससे मलबा जनित हो रहा है ;
- (14) “कूड़ा जनित करने वाला” से अभिप्रेत है, वह अन्यनित या स्थापन जो अनुसूची-1 में वर्णित एक या अनेक प्रकार का कूड़ा जनित करता हो ;
- (15) “शासकीय आदेश” से निर्दिष्ट है, जब तक कि विनिर्दिष्ट से अन्यथा अभिप्रेत न हो, वर्तमान आदेश जो कि अधिनियम की धारा 133-ख के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो ;
- (16) “स्वास्थ्य अधिकारी” से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जिसे (शहर का नाम) नगर पालिक निगम में इस प्रकार नियुक्त किया गया हो ;
- (17) “घोलू/आवासीय इकाई” से अभिप्रेत है कोई भी आवासीय इकाई, चाहे वह स्वतंत्र इकाईयां हों या समूह यथा कालोनी, कान्डोमीनियम या आवासीय काम्पलेक्स, तथा इसमें शामिल रहेगा कोई आंतरिक मार्ग या अन्य खुली जगह जो आवासीय इकाई या कालोनी का भाग हो ;
- (18) “औद्योगिक कूड़ा” से अभिप्रेत है, ऐसा कूड़ा जो किसी उद्योग या कार्यशाला द्वारा अपने उत्पादन किया के दौरान जनित किया जाता हो ; स्पष्टीकरण-उद्योग या कार्यशाला द्वारा अनुसूची-एक में वर्णित नगर पालिक ठोस अपशिष्ट का औद्योगिक कूड़ा के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ;

(19) “निरीक्षक” से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो (शहर का नाम) नगर पालिका निगम में इस प्रकार नियुक्त है अथवा कोई अधिकारी, कर्मचारी जिसे आयुक्त द्वारा (शहर का नाम) क्षेत्र में इन उप-विधियों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणाली के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया हो;

(20) “बिखराव” से अभिप्रेत है, कूड़े कचरे यथा कागज, खाली पाउच, खाली सिगारेट पैकेट, माचिस का डिब्बा, पॉलीथीन, फल का छिल्का या अन्य कोई भी पदार्थ को थोक या चिल्ह में निर्धारित डिब्बा के अतिरिक्त अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना;

स्पष्टीकरण- कूड़े को जाने या अनजाने में निर्धारित स्थान पर इस रीति से फेंकना कि वह कूड़ा-दान के बाहर गिरे, बिखराव माना जाएगा.

(21) “मोहल्ला समिति” से अभिप्रेत है, वह समिति जो अधिनियम की धारा 48-के तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार गठित की गई है;

(22) “नगर पालिका ठोस अपशिष्ट” से अभिप्रेत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत बनाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 में यथा परिभाषित अपशिष्ट;

(23) “व्यक्ति” से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो धरेलू कूड़ों की दशा में परिवार का मुखिया माना जाता है: तथा स्थापनों की दशा में वह व्यक्ति जो वैयक्तिक तथा पृथक-पृथक रूप से मालिक/कब्जाधारी/रखावाला है, तथा शासकीय कार्यालयों की दशा में वह व्यक्ति जो कार्यालय प्रमुख है, जब तक कि ठोस अपशिष्ट के निपटारा तथा रख-रखाव का दायित्व स्पष्ट रूप से अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को सौंपा न गया हो;

(24) “सार्वजनिक स्थल” का वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (47) में परिभाषित है;

(25) “पुनर्चक्रमीय अपशिष्ट” से अभिप्रेत है, ऐसी सामग्री जो पुनर्चक्रम के लिए प्रयुक्त हो सके जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत बनाए गए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 में यथा परिभाषित है;

(26) “पृथक्करण” से अभिप्रेत है, कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत बनाए गए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 यथा में परिभाषित कार्य;

(27) “स्त्रीत” से अभिप्रेत है, घर या किसी स्थापन का वह स्थल, जहां पर निपटारा हेतु कूड़ा रखा जाता है;

(28) “भंडारण” से अभिप्रेत है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत बनाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 में यथा परिभाषित भंडारण की प्रणाली;

(29) “गली” का वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (55) में यथा परिभाषित है;

(30) “अपशिष्ट” से अभिप्रेत है, उप-विधि 7 तथा/या अनुसूची-एक में वर्णित कोई या सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट तथा इसमें शामिल होगा, यदि संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो तो, कूड़ा एवं मंदा पदार्थ;

(31) “वार्ड समिति” से अभिप्रेत है, वह समिति जो अधिनियम की धारा 48-के निबंधन तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत गठित है;

(32) “कूड़ा संग्रहक” से अभिप्रेत है, वह पुरुष या महिला या एजेन्सी जो स्त्रोत पर कूड़ा संग्रहित करने हेतु निगम द्वारा नियुक्त किए गए हैं.

(ख) ऐसे शब्द तथा पद जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं.

3. समस्त पूर्ववर्ती नियमों एवं उप-विधियों के अधिक्रमण हेतु उपविधियां - (1) ये उप-विधियां, किसी भी प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन के संबंध में जारी किसी भी नियम या आदेश के अधिक्रमण में होगी, (2) खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी भी ऐसे नियम या उप-विधि या आदेश के अंतर्गत किए गए किसी कार्य की वैधता इन उप-विधियों से अप्रभावित रहेगी.

4. निरीक्षकों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य। - (1) इन उप-विधियों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, आयुक्त, नारपालिक अधिकारियों में से, ऐसी संख्या में जैसा कि वह आवश्यक समझे, निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा तथा उन्हें पर्यवेक्षण हेतु विशिष्ट क्षेत्र सौंपेगा।

स्पष्टीकरण- निरीक्षक या तो नियमित निरीक्षक या फिर अतिरिक्त प्रभाव युक्त अधिकारी हो सकते हैं।

(2) खण्ड (1) के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक उन्हें सौंपि गए क्षेत्र में, इन उप-विधियों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे।

(3) खण्ड (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरीक्षकों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वे निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करेंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि कूड़ा संग्रहकों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई है।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कूड़ा संग्रहक अपना कार्य नियमित और संतोषजनक ढंग से कर रहे हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि गलियों और सार्वजनिक स्थलों में पर्याप्त संख्या में कूड़ादान स्थापित है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कूड़ा जनित करने वाले समस्त व्यक्तियों से समय पर शुल्क, शास्त्रियां और अन्य बकाया की वसूली हो।

(ङ) इन उप-विधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले समस्त व्यक्तियों तथा स्थानों की पहचान करना तथा उन पर निर्धारित मान से शास्त्रियां तथा दण्ड अधिरोपित करना।

(च) इन उप-विधियों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी स्थापन या परिसर या उद्योग या कार्यशाला में प्रवेश करना और निरीक्षण करना।

(छ) उप-विधि 8 के अंतर्गत व्यक्तियों से निवेदन प्राप्त करना तथा उन पर उचित कार्यवाही करते हुए मलबे का उठाव, परिवहन और अंतिम व्ययन सुनिश्चित करना।

(ज) औद्योगिक कूड़े के व्ययन से संबंधित इन उप-विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों तथा प्रक्रिया के अनुसार, कूड़ा संग्रहकों द्वारा संग्रहित कूड़े का परिवहन तथा अंतिम निपटारा सुनिश्चित करना।

5. अपील। - (1) निरीक्षक के किसी भी आदेश या कृत्य से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) स्वास्थ्य अधिकारी के किसी भी आदेश या कृत्य से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा।

(3) खण्ड (1) या (2) के अंतर्गत की गई कोई भी अपील तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक कि निरीक्षक द्वारा रोपित शास्ति का निर्धारित रीति से भुगतान न कर दिया जाए।

(4) उभय पक्षों की संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात्, अपील सुन राहे अधिकारी द्वारा इस संबंध में कारणों को दर्ज करते हुए, निरीक्षक द्वारा रोपित शास्ति को कम किया जा सकेगा या रद्द किया जा सकेगा तथा उसकी यथावत् वापसी संबंधी आदेश जारी किया जाएगा।

6. उप-विधियों के उल्लंघन में ठोस अपशिष्ट का निपटारा अपराध होगा। - इन उप-विधियों के प्रवृत्त होने की तारीख से, ठोस अपशिष्ट का निपटारा इसमें यथा निर्धारित रीति के अलावा किसी भी अन्य रीति से करना अपराध होगा।

ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण तथा भंडारण। - (1) कूड़ा जनित करने वाले हर व्यक्ति द्वारा, स्रोत पर ही, नारीय ठोस अपशिष्ट का जैविक, और ऐक्रिक, पुनर्जनकरण-योग्य तथा परिसंकटमय अपशिष्ट वर्गों में पृथक्करण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- अनुसूची-एक में प्रत्येक वर्ग के कूड़े का उदाहरण प्रस्तुत है, ये सूचियां केवल उदाहरण स्वरूप हैं, संपूर्ण नहीं हैं।

(2) खण्ड (1) में वर्णित प्रत्येक वर्ग का कूड़ा, स्रोत पर ही पृथक-पृथक कूड़ादानों में भंडारित किया जाएगा और कूड़ा संग्रहक को सौंपा जायेगा।

(3) कूड़ा जनित करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि स्रोत पर कूड़ा, कूड़ा-दान के बाहर न गिरा हो तथा खुली अवस्था में न हो जिससे मकड़ी आदि आकर्षित हों और बदबू फैले।

(4) कूड़ा जनित करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट के साथ तरल अपशिष्ट का मिश्रण न हो।

8. मलबे का निपटारा. - (1) मलबा जनित करने वाला व्यक्ति, मलबा जनित करने के कम से कम चौबीस घंटे पूर्व, अभिहित किसी व्यक्ति को लिखित में या अन्य निर्धारित रीति से सूचित करेगा कि मलबा लगभग कब और कितनी मात्रा में जनित होगा, तथा निवेदन करेगा कि इसके निपटारे की व्यवस्था की जाए।

स्पष्टीकरण - यदि निगम द्वारा मलबे का संग्रहण तथा निपटारे हेतु कोई एजेन्सी नियुक्त की गई हो तो शब्द “अभिहित व्यक्ति” से निर्दिष्ट है इस एजेन्सी द्वारा स्थापित हेत्पलाईन या कॉल सेन्टर पर मलबे के निपटारे हेतु नागरिकों से ऐसी जानकारी इकट्ठा करने तथा दर्ज करने के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट किये गये व्यक्ति, अन्य सभी स्थितियों में, इससे निर्दिष्ट है निरीक्षक।

(2) उपरोक्त खण्ड (1) के अंतर्गत जानकारी के साथ निगम द्वारा मलबे के निर्धारित निपटारे हेतु वर्तमान अनुसूची के अनुसार संगठित मलबे के निपटारे के शुल्क जमा करने की प्रति साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करना होगा।

परंतु, तथापि जहां मलबे के प्रबंधन तथा हथालन हेतु कोई एजेन्सी नियुक्त की गई हो, वहां मलबे के संग्रहण, हथालन और परिवहन संबंधी शुल्क के लिए एजेन्सी द्वारा ऐसी वैकल्पिक रीति अपनाई जा सकेगी, जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

(3) खण्ड (1) के अंतर्गत जानकारी की प्राप्ति पर एजेन्सी या निरीक्षक यथास्थिति द्वारा खण्ड (2) के अन्तर्गत शुल्क के संदाय के साक्ष्य के साथ यथाशीघ्र मलबे के निपटारे हेतु व्यवस्था की जाएगी।

परंतु, यह कि मलबा जनित करने वाले के द्वारा खण्ड (1) के अन्तर्गत निरीक्षक को जानकारी दे देने तथा खण्ड (2) के अन्तर्गत मलबे के निपटारे के शुल्क का भुगतान का कर देने के बाद यदि निरीक्षक या एजेन्सी की ओर से मलबे के निपटारे में बिलंब हो तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) उपरोक्त खण्ड (1), (2) तथा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि मलबा जनित करने वाला व्यक्ति अपने मलबे का स्वयं परिवहन करना चाहे, और यदि ऐसे निपटारे की उसकी योजना आयुक्त को मान्य हो, तो मलबे के निपटारे हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए चौबीस घंटे का अनुग्रह समय प्रदान किया जा सकेगा।

(5) यदि मलबा जनित करने वाला व्यक्ति मलबे को उसी भवन में अपने उपयोगार्थ रखना चाहता हो, तो वह ऐसे रख सकेगा यदि वह न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रति ट्रक एक सौ रुपये वार्ड/मोहल्ला समिति को होलिंग शुल्क के रूप में भुगतान करे।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द “ट्रक भार” से आशय होगा मलबे का दस मीट्रिक टन।

9. औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा. - मालिक/कब्जाधारी/खबाला द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा, निरंतरता से उस उद्योग के लिए इकाई के रूप में या वर्ग के रूप में निगम या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल या अन्य किसी प्राधिकारी जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत सक्षम हो, द्वारा विहित रूप से विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

10. जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटारा. - जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटारा केवल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत निर्मित जैव चिकित्सीय (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 में अंतर्विष्ट प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाएगा, तथा इसे नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

11. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों में बिखराव तथा थूकना अपराध होगा। - कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों में और मार्गों पर कूड़ा बिखरता है, या बिखरता है, या थूकता है, इन उप-विधियों के अंतर्गत अपराध करता है तथा वह तदनुसारं दण्ड का भागी होगा।

12. घरेलू/पालतू पशुओं के मल का स्वामी द्वारा उठाना जाना। - कोई भी व्यक्ति जो मार्गों तथा/या सार्वजनिक स्थानों में अपने घरेलू/पालतू पशुओं से मल करता है और उसके उचित निपटारे के लिए अविलम्ब मल उठाने में असफल रहता है, तो वह इन उप-विधियों के अंतर्गत अपराध करता है तथा दण्ड का भागी होगा।

13. सार्वजनिक स्थानों पर शौच करना अपराध होगा। - निजी या सार्वजनिक शौचालयों के अलावा गली, नाली या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में शौच करना या बच्चों को शौच के लिए बैठाना, इन उप-विधियों के अंतर्गत अपराध का गठन करेगा तथा ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी होगा।

14. कूड़ा बलाना अपराध होगा। - निजी या सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा जलाना, इन उप-विधियों के अंतर्गत अपराध का गठन करेगा।

15. सेवा शुल्क का भुगतान। - (1) कूड़ा जनित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची-दो में विभिन्न प्रकार का कूड़े तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित दर से सेवा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(2) सेवा शुल्क/कर/स्वच्छता कर निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को ऐसी रीति में जैसा कि इसके द्वारा यथास्थिति निर्धारित तथा घोषित किया जाए, देय होगा।

(3) निर्धारित दर से सेवा शुल्क/कर/स्वच्छता कर, बतौर अग्रिम माह के दसवें दिन तक देय होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति विहित दर के अनुसार सेवा शुल्क/कर/स्वच्छता कर के भुगतान के लिए इंकार नहीं करेगा या नहीं रोकेगा या निगम द्वारा तथा/या कूड़ा संग्रहक की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाकर कोई भी कटौती नहीं करेगा।

16. अपराध के लिए जुर्माना एवं शास्तियाँ। - (1) कोई भी व्यक्ति जो इन उप-विधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अधिनियम की धारा 428 के निवंधनों में शास्तियों के भुगतान हेतु दायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो खण्ड (1) के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने से इंकार करे या अन्यथा इन उप-विधियों के प्रवर्तन हेतु आयुक्त द्वारा अपेक्षित निरीक्षक तथा अन्य नगर पालिक प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग में बाधा डाले, अधिनियम की धारा 437 के अंतर्गत शास्ति भुगतान का दायी होगा।

(3) खण्ड (1) तथा/या खण्ड (2) के अंतर्गत अधिरोपित शास्तियाँ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा/या इसके अंतर्गत बनाए गए तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत देय शास्ति या दण्ड या जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

17. जुर्माना, शुल्क और अन्य बकाया की बसूली। - इन उप-विधियों के अंतर्गत बसूल किये जाने योग्य जुर्माने, शुल्क और अन्य बकाया का यदि तत्परता से भुगतान किया जाए, तो उसकी बसूली अधिनियम का अध्याय सात के अंतर्गत निगम के दावे के रूप में की जाएगी।

18. मोहल्ला समिति तथा वार्ड समिति की भूमिका। - (1) वार्ड समिति/मोहल्ला समिति ऐसे व्यापक पर्यवेक्षण हेतु भूमिका निभाएगी जैसा कि आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जाए तथा ऐसे अन्य कार्य करेगी जैसा कि शासन या निगम उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इन उप-विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उनसे अपेक्षा करें।

(2) खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वार्ड समिति/मोहल्ला समितियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:-

(क) इन उप-विधियों के उद्देश्य के प्रचार के लिए निवासियों के बीच द्वार-द्वार जाकर अभियान और कार्यशालाएं आयोजित करना;

(ख) इन उप-विधियों का उल्लंघन करने का प्रयास करने वालों को सही सलाह देना तथा उनकी भर्तसना करना और यदि नरम तरीके और नेक सलाह का प्रभाव न हो- तो अपराधियों के विरुद्ध इन उप-विधियों, तथा अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत्त अन्य कोई कानून में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही करवाना;

(ग) उप-विधि 16 के अंतर्गत और अनुसूची-तीन के अनुसार निगम द्वारा अनुज्ञात रीति और विस्तार तक शास्ति/देय जुर्माना रोपना, संग्रहित करना और मोहल्ला समिति/वार्ड समिति के खाते में प्राप्त करना और ऐसे संग्रहण की उचित पावती जारी करना;

परंतु, तथापि जहां कहीं भी आयुक्त के मतानुसार, किसी भी कारण से यह जन सामान्य के हित में नहीं है कि उपरोक्त खण्ड के अंतर्गत जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने तथा संग्रहण करने का कार्य मोहल्ला समिति/वार्ड समिति को दिया जाए, तो आयुक्त द्वारा निगम के सेवकों को इस हेतु विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत कर सीधे तौर पर जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था करवाया जा सकेगा।

(घ) उप-खण्ड (ग) के अंतर्गत संग्रहित शास्ति/जुर्माने से प्राप्त राशियों को इन उप-विधियों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय करना;

(ङ) प्राप्त समस्त राशि और सभी व्यय का समुचित अभिलेख संधारित करना प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण ऐसी रीति में और ऐसे समय अंतरालों पर जैसा कि शासन या निगम समय-समय पर विहित करे, निगम को प्रस्तुत करना;

(च) नागरिकों, कालोनियों, स्थापनों गलियों में स्वर्धा अयोजित कराकर उनकी पहचान करना तथा पुरस्कार प्रदान करना, ताकि इन उप-विधियों के उद्देश्यों का सही अनुपालन हो;

(छ) नागरिकों, परिवार तथा स्थापनाओं के बीच से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु संबंधित अच्छे उपयोग को प्रोत्साहित करना;

(ज) निरीक्षक को उसके दायित्वों के निष्पादन हेतु समर्थन प्रदान करना;

(झ) निगम को तथा उसके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नियुक्त एजेंसी को अपना कार्य श्रेष्ठ ढंग से करने हेतु समर्थन प्रदान करना;

(ञ) निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु नियुक्त एजेंसी के कार्य पर सामान्य तौर पर दृष्टि रखना तथा वहि कोई चूक हो, तो एजेंसी के विरुद्ध रियायत-अनुबंध या टेका यथा स्थिति के अनुसार समुचित कार्यवाही हेतु आयुक्त से शिकायत करना;

स्पष्टीकरण - रियायत-अनुबंध से निर्दिष्ट है, निगम और निजी एजेंसी द्वारा निष्पादित वह अनुबंध जिसके अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तथालन का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के नमूने के अंतर्गत किया जाता है।

(ट) नागरिकों से सुझाव द्वारा निष्पादित प्राप्त करने तथा इन पर उचित अग्रिम कार्यवाही हेतु एक मंच प्रदान करना, और ऐसे सुझावों तथा प्राप्त शिकायतों का और उन पर की गई कार्यवाही का अभिलेख संधारित करना।

19. शिकायत निवारण तंत्र. - (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैसा कि प्रबलित है, से संबंधित कोई सामान्य शिकायत प्राप्त होने पर वह इसकी रिपोर्ट मौखिक या लिखित रूप में मोहल्ला समिति/वार्ड समिति से कर सकता है।

(2) मोहल्ला समिति/वार्ड समिति द्वारा खण्ड (1) के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर यथा संभव शिकायत का निराकरण किया जाएगा। तथापि, इस उसे ऐसा प्रतीत हो कि विषय उर की क्षमता या शक्तियों के बाहर है, तो वह लिखित में इस विषय को आयुक्त के समक्ष अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) खण्ड (2) के अंतर्गत मोहल्ला समिति/वार्ड समिति से शिकायत तथा अनुशंसा प्राप्त होने पर, आयुक्त द्वारा शिकायत के निराकरण हेतु श्वोच्छित कार्यवाही की जाएगी।

(4) आयुक्त द्वारा मोहल्ला समिति/वार्ड समिति से तथा/या जन सामान्य से प्राप्त सभी शिकायतों और इन पर की गई कार्यवाही का समुचित अभिलेख सामान्य या विशेष तरीके से संधारित किया जाएगा और वह इसे सार्वजनिक सूचना प्रकटीकरण हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जन सामान्य की जानकारी हेतु यथावत् रूप में प्रकाशित करेगा।

अनुसूची-1
कूड़े की अनुसूची
[देखें उप-विधि 8 (1) स्पष्टीकरण]

जीव नाशित अपशिष्ट	पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट तथा/या जीव अनाशित अपशिष्ट	परिसंकटमय अपशिष्ट
(1)	(2)	(3)
सभी प्रकार का पका/अनपका खाद्य पदार्थ जिसमें अंडे का छिल्का और हड्डी शामिल है।	कागज तथा सभी प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल डिब्बे
फल तथा सब्जियों के छिल्के, बनस्पति अपशिष्ट जो घरेलू बगीचों से जनित हुआ हो।	गत्ता, गत्ते का डिब्बा तथा सभी प्रकार का गत्ते के बोर्ड।	बटन सेल, टार्च का सेल/ट्रान्जिस्टर/कार की बैटरी।
झाड़ने का घरेलू झाड़ा	सभी प्रकार की पेंकिंग सामग्री	ब्लीचिंग सामग्री, रसोई, नाली आदि की सफाई में प्रयोग होने वाली सामग्री।
सेनेटरी नेपकिन	सभी प्रकार के टिन परिसंकटमय को छोड़कर।	तेल का फिल्टर और कार-सुरक्षा सामग्री।
बच्चे तथा बयस्कों के डायपर	सभी प्रकार के कांच, धातु, रबर और लकड़ी।	रासायनिक पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन तथा इन सामग्रियों के डिब्बे।
फल, सब्जी तथा मछली बाजारों तथा कसाई घर और बूचड़ खाना के अपशिष्ट।	फाईल, पेकेट, टेट्रा पेक, केसेट, कम्प्यूटर डिस्केट, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, कपड़ों के चिन्दी, फर्नीचर आदि।	इंजेक्शन सिरींज, सुई, कालातीत दर्वाइयां तथा औषधियां, कीट-नाशक और इनके डिब्बे।
		बिजली के बल्ब, ट्यूब लाइट तथा फ्लोरोसेंट बल्ब, थर्मामीटर एवं पारं समाविष्ट अन्य मद।
		पेंट, तेल, गोंद, धिनर तथा इनके डिब्बे, फोटोग्राफी में प्रयुक्त सायन।

अनुसूची-2
सेवा शुल्क की अनुसूची
(देखें उप-विधि 15)

स. क्र.	अपशिष्ट जनन कर्ता (1)	सेवा शुल्क (2)	स्पष्टीकरण (4)		
1.	गृहस्थी प्लिंथ क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से कम	रु. 20/- प्रतिमाह			
	प्लिंथ क्षेत्रफल 501-750 वर्गफीट	रु. 30/- प्रतिमाह			
	प्लिंथ क्षेत्रफल 751-1000 वर्गफुट से कम	रु. 50/- प्रतिमाह			
	प्लिंथ क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट से अधिक	रु. 100/- प्रतिमाह			
2.	रेस्तरंग ग्राहक-कुर्सियां 25 से कम	रु. 500/- प्रतिमाह	ऐसे स्वल्पाहार-गृह जहां ग्राहक हेतु कुर्सियां न हो, वे इस श्रेणी में आयेगे।		
	ग्राहक-कुर्सियां 26-50	रु. 1000/- प्रतिमाह			
	ग्राहक-कुर्सियां 50 से अधिक	रु. 1500/- प्रतिमाह			
3.	हॉटल/लॉज/अतिथि गृह		शुल्क (रु. प्रतिमाह)		
	आधार	कमरा	प्रति-रेस्तरंग	प्रति बगीचा	प्रति बेंक्वेट हॉल
	25 कमरों से कम	1000	1000	500	500
	25-50 कमरे	5000	4000	3000	3000
	50 कमरों से अधिक	15,000	5000	5000	5000
4.	धर्मशाला प्रति कमरा		रु. 10/- प्रतिमाह		
	प्रति हॉल		रु. 200/- प्रतिमाह		
5.	बारात घर		रु. 10,000/- प्रतिमाह		
6.	शैक्षणिक संस्थाएं प्राथमिक शाला (शासकीय)		रु. 250/- प्रतिमाह		
	प्राथमिक शाला (निजी)		रु. 500/- प्रतिमाह		

(1)	(2)	(3)	(4)
	उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला (शासकीय)	रु. 2500/- प्रतिमाह	
	उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला (निजी)	रु. 5000/- प्रतिमाह	
	महाविद्यालय	रु. 2000/- प्रतिमाह	
	विश्वविद्यालय	रु. 5000/- प्रतिमाह	
	अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	रु. 1000/- प्रतिमाह	
7.	अस्पताल/नर्सिंग होम (जैव चिकित्सीय अंपशिष्ट छोड़कर अन्य के लिए)	रु. 5000/- प्रतिमाह	शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए शुल्क 50 प्रतिशत होगा।
	बिस्तर 20 से कम	रु. 7500/- प्रतिमाह	
	बिस्तर 21-100 से कम	रु. 10,000/- प्रतिमाह	
	बिस्तर 100 से अधिक		
8.	चिकित्सालय	रु. 500/- प्रतिमाह	
	पैर्थोलोजी लैब	रु. 1500/- प्रतिमाह	
9.	वाणिज्यिक स्थापनाएं		
	फर्श क्षेत्रफल 100 वर्गफुट से कम	रु. 100/- प्रतिमाह	वेंडरों के लिए रु. 20/- प्रतिमाह शुल्क देय होगा।
	फर्श क्षेत्रफल 101-300 वर्गफुट	रु. 300/- प्रतिमाह	
	फर्श क्षेत्रफल 301-500 वर्गफुट	रु. 750/- प्रतिमाह	
	फर्श क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक	रु. 1500/- प्रतिमाह	
	शॉपिंग माल	रु. 1.50 प्रति वर्गफुट/प्रतिमाह	
10.	सब्जी/फल/फूल/मछली/मुर्गी/मटन मार्केट		
	ट्रक जो सब्जी/फल/फूल/लोडिंग/अनलोडिंग करें।	रु. 75/- प्रति एल. सी. बी. रु. 100/-प्रतिट्रक	लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय शुल्क पृथक-पृथक देय होगा।
	फर्श क्षेत्रफल 100 वर्गफुट से कम	रु. 150/- प्रतिमाह	वेंडरों के लिए रु. 30/-प्रतिमाह शुल्क देय होगा।
	फर्श क्षेत्रफल 101-300 वर्गफुट	रु. 450/- प्रतिमाह	
	फर्श क्षेत्रफल 301-500 वर्गफुट	रु. 1125/- प्रतिमाह	
	फर्श क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक	रु. 2250/- प्रतिमाह	
11.	ब्युटी पार्लर	रु. 500/- प्रतिमाह	
12.	सिनेमा प्रियेटर	रु. 1000/- प्रतिमाह	
13.	मनोरंजन (आमोद) पार्क	रु. 10,000/- प्रतिमाह	
14.	अध्यात्म प्रालय	रु. 2000/- प्रतिमाह	
15.	सर्केस/प्रकर्णी/मेला/खुले स्थान में सामाजिक वार्ष	रु. 2000/- प्रतिदिन	

अनुसूची-3
विभिन्न अपराधों के लिए शास्त्रियों की अनुसूची
[अधिनियम की धारा 428 (1) (क) के अंतर्गत]

सं. क्र.	उप-विधि का संदर्भ	अपराध	प्रथम अपराध के लिए शास्त्रि	अपराध दोहराने पर शास्त्रि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7 (1)	स्वोत पर कूड़ा का पृथक्करण नहीं करना. नया अपराध माना जाएगा.	रु. 100/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
2.	7 (2)	कूड़ा खुली हालत में भंडारित	रु. 100/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
3.	7 (3)	कूड़ा कूड़ादान के बाहर बिखरा रहना.	रु. 100/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
4.	7 (4)	ठोस अपशिष्ट के साथ तरल अपशिष्ट मिला देना.	रु. 100/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
5.	8 (1)	मलबा जनित कर्ता द्वारा निरीक्षक या एजेंसी, यथा लागू को यथा अधेक्षित (भुगतान सहित) समय में मलबे की सूचना नहीं देना जिससे की मलबे का ढेर बन रहा है.	रु. 500/-	रु. 10/- प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध ज्ञारी रहे.
6.	8 (1) एवं (2).	वास्तविक जनित मलबा सूचित मात्रा/भुगतान की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है.	रु. 500/-	
7.	9	औद्योगिक कूड़ा का निपटारा उप- विधि के उल्लंघन में.	रु. 500/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
8.	11	मार्गे और/या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा बिखराना या बिखराना.	रु. 500/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
9.	12	घरेलू/पालतू जानवरों से मार्गे या सार्वजनिक स्थानों में मल/गोबर कराना.	रु. 500/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.
10.	13	मार्गे, नाली में या सार्वजनिक स्थानों पर शौच करना या शौच हेतु बुच्चों को बैठाना.	रु. 10/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	14	निजी या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाना।	रु. 50/-	प्रतिदिन इस अपराध को नया अपराध माना जाएगा।
12.	15 (4)	जैसे ही और जब बकाया हो सेवा शुल्क या शास्ति का भुगतान न करना या रोकना।	रु. 500/-	रु. 10/- प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध जारी रहे।
13.	16 (1)	उप-विधियों का किसी प्रकार का उल्लंघन जो उपरोक्त में उल्लेखित नहीं है।	रु. 500/-	रु. 10/- प्रतिदिन जितने भी दिन अपराध जारी रहे।

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक -F 5-4/18/2011.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना -F 5-4/18/2011 दिनांक 1-4-2011 का अग्रेजी अनुबाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव।

Raipur, the 1st April 2011

NOTIFICATION

No. -F 5-4/18/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby makes the following model bye-laws under sub-section (6) and (36) of section 427 of the said Act, to regulate the scavenging and disposal of refuse, and charges for services by municipal authorities by the Municipal Corporations in the State, namely :-

MODEL BYE-LAWS

(For Adoption by Municipal Corporation in Chhattisgarh)

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These bye-laws may be called (name of the city) The Municipal Corporation Solid Waste (Management and Handling) Bye-Laws, 2010 ;
 - (2) These bye-laws shall be applicable in the area covered by the administrative jurisdiction of the Municipal Corporation town of (name of the city) in Chhattisgarh ;
 - (3) These bye-laws shall come into force, subsequent to notification by the Government, from the date of their adoption by the Corporation under sub-section (2) of Section 432-A and/or sub-section (3) of Section 432-A of the Act, as applicable.

2. **Definitions.**— (A) In this bye-laws unless the context otherwise requires,-
 - (1) “Act” means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) ;
 - (2) “Bio-degradable substance” means the solid waste like food, fruits, vegetables, wastes from slaughter house, meat, fish, fruit and vegetable markets that can be degraded by micro-organisms ;
 - (3) “Bio-medical Waste” means the waste as defined in the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 ;
 - (4) “Bio-medical Waste Rules” means the Bio-medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, framed under the Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986) ;
 - (5) “Building” shall means the same as defined in sub-section (7) of Section 5 in the Act ;
 - (6) “Collection” means door-to-door and other system(s) set by the Corporation for collection of waste from the source in a prescribed manner at prescribed periods of time ;
 - (7) “Commissioner” shall means the same as defined in sub-section (11) of Section 5 in the Act ;
 - (8) “Corporation” shall mean the same as defined in sub-section (13) of Section 5 in the Act ;
 - (9) “Debris” means the rubble generated during construction or demolition of buildings or part of the building ;
 - (10) “Disposal” means the act of disposing off the waste generated in the house or establishment ;
 - (11) “Drain” shall means the same as defined in sub-section (20) of Section 5 in the Act ;
 - (12) “Establishment” means any shop, transporter, mall, restaurant, lodging house, hotel, office, function halls (including open lawns used for organizing events), hostels, educational institutions, hospitals, and any other unit that generates solid waste in the course of its routine functioning ;

- (13) "Generator of debris" means the person or establishment who owns the building under construction or the building under demolition that is generating the debris ;
- (14) "Generator of waste" means a person or an establishment which generates waste of one or more categories described in Schedule-I ;
- (15) "Government Order" unless specified to means otherwise, would refer to the current order issued by the State Government under Section 133-B of the Act ;
- (16) "Health Officer" means the officer so designated in (name of the city) Municipal Corporation ;
- (17) "Household" means to dwelling units, irrespective of whether they are independent units or clustered as a colony, condominium or residential complex, and it includes any internal road or other open space forming part of the dwelling unit or the colony ;
- (18) "Industrial waste" means the waste generated by any factory or workshop in the course of its production process.

Explanation.- The municipal solid waste described in Schedule-I generated by a factory or workshop will not be construed as industrial waste ;

- (19) "Inspector" means an officer of (Name of the city) Municipal Corporation who is so appointed or to any officer, employee specifically assigned, by the Commissioner, the task of inspection of solid waste management practices for enforcement of the provisions contained in these bye-laws in (Name of the city) area ;
- (20) "Littering" means the act of dumping garbage in bulk or in isolated bits as paper, empty pouches, empty cigarette packets, match-boxes, polythene, fruit peels or any other material in places other than inside the designated public garbage bin placed for the purpose.

Explanation.- Throwing waste towards a public garbage bin so that it falls, intentionally or unintentionally outside the bin, will be construed as littering ;

- (21) "Mohalla Samiti" means the Committee formed in accordance with Section 48-B of the Act and the rules made thereunder ;
- (22) "Municipal Solid Waste" means the waste as defined in Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 framed under the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) ;
- (23) "Person" means any individual who, in the case of domestic waste, would mean the head of the family and in the case of establishments would mean the owner/occupier/keeper, individually and severally and in the case of Government offices would mean the head of the office unless another officer or employee has been specifically assigned the task of housekeeping and disposal of solid waste ;
- (24) "Public Place" shall means the same as defined in sub-section (47) of Section 5 in the Act ;
- (25) "Recyclable Waste" means such material that can be used for recycling as defined in Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 framed under the Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986) ;
- (26) "Segregation" means the act as defined in Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 framed under the Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986) ;
- (27) "Source" means the point at house or in any establishment at which waste is ready to be disposed off ;
- (28) "Storage" means the practice of storage as defined in Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 framed under the Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986) ;

(29) "Street" shall mean the same as defined in sub-section (55) of Section 5 in the Act ;

(30) "Waste" means any or all kinds of solid waste described in bye-law 7 and/or Schedule-I and shall include, if the context so demands, rubbish and offensive matter ;

(31) "Ward Samiti" means the Committee formed in terms of Section 48-A of the Act and the rules made thereunder ;

(32) "Waste Collector" means the man or woman or agency appointed by the Corporation to collect waste at source ;

(B) Words and terms not defined here shall have the same meaning as in the Act.

3. **Bye-laws to Supersede all earlier rules and bye-laws.** - (1) These bye-laws shall supersede any rule or bye-law or order issued under the Act by any authority in the past that relates to management and handling of municipal solid waste.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), the validity of any action taken under any such rule or bye-law or order issued under the Act in force at the material time shall remain unaffected by these bye-laws.

4. **Appointment of Inspectors and their powers and duties.** - (1) To achieve the purposes of these bye-laws, the Commissioner shall appoint from among the Municipal Officers, Inspectors in such numbers as he may deem necessary and assign to them specific area for supervision ;

Explanation - The Inspectors may be either regular Inspectors or officials with additional charge.

(2) The Inspectors appointed under Clause (1) shall ensure effective enforcement of these bye-laws in the area assigned to them.

(3) Without prejudice to the generality of Clause (2), the Inspectors shall have the following powers and shall perform the following duties,-

- (a) Ensure that the Waste Collectors have been appointed in sufficient numbers.
- (b) Ensure that the Waste Collectors perform their tasks regularly and satisfactorily.
- (c) Ensure that bins in sufficient numbers are placed in streets and public places.
- (d) Ensure timely collection of charges, penalties and other dues from all generators of waste.
- (e) Locate and book persons who breach the provisions of these bye-laws and impose upon them penalties and punishment as prescribed.
- (f) Enter and inspect any establishment or premises or factory or workshop to achieve the purposes of these bye-laws.
- (g) Receive requests from persons under bye-law 8 and take suitable action thereon to ensure lifting, transportation and final disposal of debris.
- (h) To ensure compliance of the provisions of these bye-laws with regard to disposal of industrial waste.
- (i) Ensure transportation and final disposal of wastes collected by the waste collectors, in accordance with the provisions and procedures contained in the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules framed thereunder.

5. **Appeal.** - (1) Any person aggrieved by any order or action of the Inspector may appeal before the Health Officer.
 (2) Any person aggrieved by any order or action of the Health Officer may appeal before the Commissioner.
 (3) No appeal shall be entertained under clause (1) or (2) unless the penalty imposed by the Inspector has been paid in the manner prescribed.
 (4) After a summary hearing of both sides, the authority hearing appeal may, after recording reasons for doing so, reduce or annul the penalty imposed by the Inspector and order refund of the same.

6. **Disposal of Solid Waste in breach of the bye-laws to be an Offence.** - From the date these bye-laws come into force, disposal of solid waste in any manner other than as prescribed herein shall constitute an offence.

7. **Segregation and storage of solid waste.** - (1) Every generator of waste shall, at source, segregate the municipal solid wastes into the groups of organic, inorganic, recyclables and hazardous wastes.

Explanation - Schedule-I provides examples of each category of the waste. The lists are illustrative and not exhaustive.

(2) Each of the types of waste described in clause (1), shall be stored in a separate bin and handed over to the waste collector at the source.
 (3) The generator of waste shall ensure that the storage should not overflow with the waste at source and should not be exposed to attract vectors and to emit foul odour.
 (4) The generator of waste shall ensure that liquid waste is not mixed with solid waste.

8. **Disposal of debris.** - (1) The generator of debris shall, at least twenty-four hours before generating debris, inform in writing or any other prescribed mode, the designated person indicating the approximate time and quantity of debris expected to be generated and requesting for its disposal.

Explanation - If an agency has been appointed by the Corporation for collection and disposal of debris, the term 'designated person' refers to the person manning the Call Centre or Helpline set up by an agency for the purpose of collecting and recording such information from the citizens for disposal of debris. In all other cases, it shall refer to the Inspector.

(2) Information under clause (1) above shall be accompanied by copy evidencing payment of debris disposal charges computed as per the current Schedule for disposal of debris prescribed by the Corporation:

Provided, however, that where an agency has been appointed for management and handling of debris, the agency may adopt alternate modes for collection of the debris, handling and transportation charges as may be fixed by the Corporation from time to time.

(3) Upon receipt of information under clause (1) accompanied by evidence of Payment of charges under clause (2), the agency or the Inspector, as the case may be, shall organize forthwith for disposal of the debris.

Provided, that the generator of debris, after he has informed the Inspector under clause (1) and paid debris disposal charges under clause (2) shall not be liable for any delay on the part of the Inspector or the agency in disposal of the debris.

(4) Notwithstanding anything contained in clause (1), (2) and (3) above, if the generator of debris desires to transport the debris himself and if the plan for such disposal is acceptable to the Commissioner, a grace period of 24 hours may be allowed to enable him to dispose off the debris.
 (5) If the generator of debris desires to store the debris for own use in the same building, he may do so by paying holding fee @ Rs. 100/- per truck-load per day into the Ward Samiti/Mohalla Samiti account, subject to a minimum of Rs. 1000/-

Explanation - For the purpose of this clause the term 'truck load' shall correspond to ten metric tons of debris:

9. **Disposal of industrial waste.** - Industrial waste shall be disposed off by the owner/occupier/keeper in ongoing manner as may be prescribed specifically for the industry as a unit or as a class by the Corporation or Chhattisgarh Environment Conservation Board or any other authority competent under any law in force.
10. **Disposal of bio-medical waste.** - Bio-medical waste shall be disposed of only according to the provisions and procedures contained in the Bio Medical (Management and Handling) Rules, 1998 framed under the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) and not mixed with Municipal solid waste.
11. **Littering and spitting in public places and streets an offence.** Any person who spits or litters or causes to be littered, waste in public places and streets commits an offence under these bye-laws and shall be liable for punishment accordingly.
12. **Filth of domestic/pet animals to be cleaned by owners.** - Any person who allows his domestic/pet animals to defecate on roads and/or in public places and fails to forthwith scoop up the filth for proper disposal, commits an offence under these bye-laws and shall become liable for penalty.
13. **Defecation in public places an offence.** - Defecating or causing defecation by children in street, drain or any public place other than private or public toilets shall constitute an offence under these bye-laws and attract penalty.
14. **Burning of waste an offence.** - Burning of waste whether in private or in public place shall constitute an offence under these bye-laws.
15. **Payment of service charge.** - (1) Every generator of waste shall be liable to pay Service Charge according to rates prescribed in Schedule-II for different categories of waste and for different classes of persons.
 - (2) The Service Charge/Tax/Sanitary Cess shall be paid to a person authorized for the purpose and in a manner as may be prescribed by the Corporation and announced by it.
 - (3) The Service Charge/ Tax/Sanitary Cess according to rates prescribed shall be payable in advance for the month not later than the 10th day.
 - (4) No person shall withhold or refuse to pay the Service Charge/ Tax/ Sanitary Cess according to rates prescribed or make any deduction therefrom alleging deficiency in service on the part of the waste collector and/ or the Corporation.
16. **Fines and penalties for offences.** - (1) Any person who breaches the provisions of these bye-laws shall be liable to pay penalty in terms of Section 428 of the Act.
 - (2) Any person who refuses to pay the penalty imposed under clause (1) or otherwise obstructs the exercise of powers by Inspectors and other Municipal authorities required by the Commissioner to enforce these bye-laws, shall become liable to pay penalty under Section 437 of the Act.
 - (3) The Penalties imposed under clause (1) and/ or clause (2) shall be without prejudice to any penalty or punishment or fine under the Environment (Protection) Act, 1986, and/or the rules made there-under and amended from time to time.
17. **Recovery of fines, charges and other dues.** - The fines, charges and other dues recoverable under these bye-laws, if not paid promptly, shall be recovered as Corporation claims under Chapter XII of the Act.
18. **Role of mohalla samitis and ward samitis.** - (1) Ward Samitis/ Mohalla Samitis, as may be decided by the Commissioner, shall have the role of overall supervision and such other tasks as the Government or the Corporation may require of them to ensure effective implementation of these bye-laws in the areas under their jurisdiction.

(2) Notwithstanding the generality of anything contained in clause (1), the Ward Samities/Mohalla Samities shall do the following :-

- (a) To conduct door-to-door campaigns and work-ups to propagate among the residents the purpose of these bye-laws ;
- (b) To advise and admonish those that attempt to breach these bye-laws and, if milder methods and sage advice fails, to cause firm action against offenders in accordance with the provisions contained in these bye-laws and the Act and any other law in force ;
- (c) To impose, collect and receive into the Mohalla Samiti/Ward Samiti account penalties/ fines due under bye-law 16 and according to Schedule-III in the manner and to the extent permitted by the Corporation and to issue proper receipts for such collections :

Provided, however, that wherever, in the opinion of the Commissioner, it does not appear to be in general public interest for any reason whatsoever to assign to the Mohalla Samiti/Ward Samitis the task of imposing and collecting fines/penalties under the above clause, the Commissioner may make alternate arrangements for direct imposing, collecting and receiving of fines/penalties by the servants of the Corporation specifically authorized for the purpose.

- (d) To spend from the penalty/fine collected under sub-clause (c) amounts for achieving the purpose of these bye-laws.
- (e) To maintain a proper record of all monies received and all that is spent and to submit the statement of receipts and expenditure to the Corporation in such manner and at such intervals of time as the Government or the Corporation may prescribe from time to time.
- (f) To conduct competitions to recognize and reward citizens, colonies, establishments, streets that comply best with the objects of these bye-laws ;
- (g) To Promote good practices related to solid waste management among citizens, households and establishments ;
- (h) To support the Inspector in the discharge of his duties ;
- (i) To support the Corporation and the agency appointed by it for solid waste management to perform its task well.
- (j) To generally oversee the work of the agency appointed by the Corporation for solid waste management and to report failings, if any, to the Commissioner for appropriate action against the agency in accordance with the Concession Agreement or contract, as the case may be ;

Explanation - Concession Agreement refers to the agreement between the Corporation and the private agency where the management and handling of municipal solid waste is done under a model of public-private partnership.

- (k) To provide a forum for receiving suggestions and grievances from citizens and for taking appropriate further action thereon and to maintain a record of such suggestions and grievances received and action taken thereon.

19. **Grievance redressal mechanism**.- (1) Any person having any general grievance related to the solid waste management as being practiced may submit it orally or in writing to the Mohalla Samiti/Ward Samiti.

(2) The Mohalla Samiti/Ward Samiti shall, to the extent possible, redress the grievance received under clause (1). If however, it finds the matter beyond its capacity or powers, it shall bring the matter in writing before the Commissioner with its recommendation.

- (3) On receipt of the grievance and recommendation from the Mohalla Samiti/Ward Samiti under clause (2), the Commissioner shall take appropriate measures to redress the grievance.
- (4) The Commissioner shall, through a general or special system, maintain proper record of all grievances received from Mohalla Samiti/Ward Samitis and/or general citizens and action taken thereon, and shall publish the same for general public information under the provisions in the Act for public disclosure of information.

By order and in the name of the Governor of Chattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

Schedule of Waste

[See bye-law 8(1) Explanation]

Bio-degradable Waste (1)	Recyclable Waste and/or Non-bio- degradable waste (2)	Hazardous Waste (3)
All Kinds of cooked/ uncooked food items which includes eggshells and bones.	Paper and plastic of every kind.	Aerosol Can
Peel of fruits and vegetables, botanical waste from domestic garden.	Card board, cartons and carton board of every kind.	Button Cell, Flashlight/ Transistor/Car Battery.
Sweepings of the domestic broom.	All kinds of packing material.	Bleaching Material, material used for cleaning kitchen, drains etc.
Sanitary Napkins	All kinds of tin other than hazardous.	Oil filter and car protec- tion material.
Infant and adult diapers	All kinds of glass, metal, rubber and wood.	Chemicals, cosmetics and the containers of these materials.
Wastes from fruit, vegetable and fish markets and from slaughter houses and butcheries.	Files, packets, tetra- pack, cassette, computer diskette, electronic components, fabric shreds, furniture etc.	Injection syringe, needles, expired drugs and medicines, pesticides and their cans.
		Electric bulbs, tubelights and fluorescent bulb, thermometer and other items containing mercury.
		Paint, oil, resins, thinner, and their cans, chemicals involved in photography.

SCHEDULE-II

Schedule of Service Charge

(See bye-law 15)

Sl. No.	Generator of Waste	Service Charge	Explanation		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Households Plinth Area < 500 sft	Rs. 20/- per month			
	Plinth Area 501-750 sft	Rs. 30/- per month			
	Plinth Area 751-1000 sft	Rs. 50/- per month			
	Plinth Area > 1000 sft	Rs. 100/- per month			
2	Restaurant Customer Chairs < 25	Rs. 500/- per month	Eateries where no customer chairs are involved are covered under this category.		
	Customer Chairs 26-50	Rs. 1000/- per month			
	Customer Chairs > 50	Rs. 1500/- per month			
3.	Hotel/Lodge/Guest House	Charges : (Rs. per month)			
		Basic	Room		
		per Restaurant	per Garden		
		per Banquet Hall			
	< 25 rooms	1000	1000	500	500
	25-50 rooms	5000	4000	3000	3000
	> 50 rooms	15,000	5000	5000	5000
4.	Dharamshala				
	Per Room	Rs. 10/- per month			
	Per Hall	Rs. 200/- per month			
5.	Barat Ghar	Rs. 10,000/- per month			
6.	Educational Institutions				
	Primary School (Government)	Rs. 250/- per month			
	Primary School (Private)	Rs. 500/- per month			
	High/Hr Sec School (Govt)	Rs. 2500/- per month			

(1)	(2)	(3)	(4)
	High/Hr Sec School (Private)	Rs. 5000/- per month	
	College	Rs. 2000/- per month	
	University	Rs. 5000/- per month	
	Other Educational Institutions.	Rs. 1000/- Per month	
7.	Hospital/Nursing Home (for waste other than bio-medical waste)		
	Beds < 20	Rs. 5000/- per month	
	Beds 21-100	Rs. 7500/- per month	
	Beds > 100	Rs. 10000/- per month	For Government Health Centres and hospitals, the charges will be 50% for each category.
8.	Clinic	Rs. 500/- per month	
	Pathology Lab	Rs. 1500/- per month	
9.	Commercial Establishments		
	Floor Area < 100 sft	Rs. 100/- per month	For vendors, a flat charge of Rs. 20/- per month will be charged.
	Floor Area 101-300 sft	Rs. 300/- per month	
	Floor Area 301-500 sft	Rs. 750/- per month	
	Floor Area > 500 sft	Rs. 1500/- per month	
	Shopping Malls	Rs. 1.50 per sft/per month	
10.	Vegetable/Fruits/Flowers/Fish/Poultry/Meat Market		
	Trucks that come for loading/ unloading of vegetables/fruits/ flowers.	Rs. 75/- per LCV Rs. 100/- per truck	Charges will be levied separately for loading and for unloading.
	Floor Area < 100 sft	Rs. 150/- per month	for vendors, a flat charge of Rs. 30/- per month will be charged.
	Floor Area 101-300 sft	Rs. 450/- per month	
	Floor Area 301-500 sft	Rs. 1125/- per month	
	Floor Area > 500 sft	Rs. 2250/- per month	
11.	Beauty Parlours	Rs. 500/- per month	
12.	Cinema Theatre	Rs. 1,000/- per month	
13.	Amusement Parks	Rs. 10,000/- per month	
14.	Residential Schools	Rs. 2000/- per month	
15.	Circus/Exhibitions/ Fairs/ Social Events in open space.	Rs. 2,000/- per day	

SCHEDULE-III

Schedule of Penalties for Various Offences

[Under Section 428 (1) (a) of the Act]

S. No.	Byelaw Reference	Offence	Penalty for 1st Offence	Penalty for repeat of offence
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7(1)	Non-segregation of waste at source.	Rs. 100/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
2.	7(2)	Waste is stored in exposed condition.	Rs. 100/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
3.	7(3)	Waste overflows from the bin	Rs. 100/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
4.	7(4)	Solid waste is mixed with liquid waste.	Rs. 100/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
5.	8(1)	Generator of debris fails to inform the Inspector, or the agency, as the case may be, as required (with payment) in time, leading to pile up of debris.	Rs. 500/-	Rs. 10/- per day for every day the offence continues.
6.	8(1)&(2)	Debris actually generated is more than 50% of quantity informed/ payment made.	Rs. 500/-	
7.	9	Industrial waste is disposed off in violation of byelaws.	Rs. 500/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
8.	11	Littering or causing to litter waste on roads and/or in public places.	Rs. 500/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
9.	12	Allowing domestic/pets to defecate or throw dung on roads or in public places.	Rs. 500/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
10.	13	Defecation or causing defecation by children on roads, in drains or in public place.	Rs. 10/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.
11.	14	Burning of waste whether in private or in public places.	Rs. 50/-	Every day the offence will be deemed to be fresh offence.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	15(4)	Withholding or refusal to pay service charges or penalties as and when due.	Rs. 500/-	Rs. 10/- per day for every day the offence continues.
13.	16(1)	Any breach of byelaws not covered above.	Rs. 500/-	Rs. 10/- per day for every day the offence continues.